



अनुसूचित जातियों का
आर्थिक सशक्तीकरण



श्रीमती सोनिया गाँधी
अध्यक्ष, यूपीए



डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

मुझे मिला स्वाभिमान से
अपनी रोज़ी-रोटी कमाने का अधिकार



अनुसूचित जातियों में दोहरी गरीबी रेखा (डीपीएल) के लाभार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

- महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत 30,000 रुपये तक का रियायती ऋण, 1% अतिरिक्त छूट के साथ
- व्यवसाय के लिए 30,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक का रियायती ऋण
- बी.पी.एल. लाभार्थी को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत स्वरोज़गार के लिए अनुदान
- भारत में शिक्षा के लिए 7.5 लाख रुपये एवं विदेशों में 15 लाख रुपये तक का रियायती ऋण

 **भारत निर्माण**
का सपना बुना
तरक्की हुई
कई गुणा